D.C. Rules
22/12/2021

राजस्थान सरकार

खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.9(3)खान/ग्रुप-1/2019 जयपुर, दिनांक 22 DEC 2021

-: परिपत्र :-

राजकीय निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों हेतु एस.टी.पी. प्राप्त करने एवं रॉयल्टी जमा कराने के संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम-51 है जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है:-

1. निर्माण ठेकेदार द्वारा संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को कार्यादेश एवं जी शिड्यूल की प्रति सहित एस.टी.पी. हेतु आवेदन किया जायेगा एवं नियम-51 (9) में दिये गये चार विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन कर एस.टी.पी. चाही जायेगी। यह विकल्प निम्नानुसार है:-

i. रॉयल्टी इत्यादि की कटोती रनिंग बिलो से करवाई जावेगी तथा कार्य समाप्ति पर निर्माण विभाग से खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत कर अधिशुल्क निर्धारण करवाया जावेगा एवं नोड्यूज प्राप्त करेगा।

ii. रॉयल्टी इत्यादि की राशि सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को अग्रिम जमा कराई जायेगी एवं कार्य समाप्ति पर निर्माण विभाग से खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत कर अधिशुल्क निर्धारण करवाया जावेगा एवं नोड्यूज प्राप्त करेगा। नेशनल/मेगा साईवे, चार/छः लेन सडके व रेल्वे के निर्माण एवं मरम्मत कार्यो हेतु यह विकल्प ही लागू है।

iii. रॉयल्टी पेड खनिज क्रय कर काम में लिया जायेगा एवं कार्य समाप्ति पर निर्माण विभाग से खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत कर अधिशुल्क निर्धारण करवाया जायेगा एवं नोड्यूज प्राप्त करेगा।

iv. रॉयल्टी पेड खनिज प्राप्त किया जायेगा जिसका एसेसमेन्ट नहीं करवाना चाहता है एवं रनिंग बिलों से निर्धारित प्रतिशत राशि की कटौती करवायेगा।

2. निर्माण विभागों का दायित्व है कि रनिंग बिलों के समय खनिज का उपयोग रॉयल्टी भुगतान कर काम में लिया जाने बाबत सुनिश्चित करें अन्यथा खनिज का उपयोग ना होने देवें। खान विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(6)खान/ग्रुप-2/80 पार्ट दिनांक 15-11-2011 के अनुसार निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं करने या अवैध रूप से खनिज का उपयोग होने पर खनिज की 10 गुणा रॉयल्टी जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण विभाग की होगी, जो एल. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विभागीय प्रावधानों के अनुसार केवल राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51(9)(iv) में जारी होने वाले एस.टी.पी. में ही निर्माण विभाग को अंतिम बिल पारित करने के लिये सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के नो–ड्यूज की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी विकल्पों में नो–ड्यूज प्राप्त किये बगैर अंतिम बिल पारित नहीं किया जा सकता।

विगत वर्षों में महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा एस.टी.पी. के प्रकरणों में काफी आक्षेप गठित किये गये है तथा विभाग को भी एस.टी.पी. के प्रकरणों को निपटाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से मुख्यतः यह है कि:–

1– सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि. अभियन्ता को निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यादेश की प्रति प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण ठेकेदार को एस.टी.पी. हेतु लिखा नहीं जा सकता, जबकि महालेखाकार द्वारा निर्माण विभाग के कार्यादेशों के आधार पर बिना एस.टी. पी. खनिज उपयोग के दोष पर 10 गुणा रॉयल्टी हानि का आक्षेप खान विभाग में गठित किये जाते हैं।

2– निर्माण ठेकेदार द्वारा कई बार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51(9)(ii) के तहत एस.टी.पी. आंशिक खनिज मात्रा का प्राप्त किया जाता है, जबकि शेष कार्य बिना एस.टी.पी. प्राप्त किये, करने पर महालेखाकार द्वारा बिना एस.टी.पी. खनिज उपयोग के दोष पर 10 गुणा रॉयल्टी हानि का आक्षेप खान विभाग में गठित किये जाते हैं।

3– निर्माण विभाग द्वारा कार्य समाप्ति पर सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण खान विभाग द्वारा अधिशुल्क निर्धारण नहीं किया जा पाता है एवं महालेखाकार द्वारा एस.टी.पी. के अधिशुल्क निर्धारण नहीं करने के कारण राजस्व हानि के आक्षेप गठित किये जाते हैं।

4– कई ठेकेदारों द्वारा कार्य का अंतिम बिल बहुत ही कम राशि का बाकी छोड़ देते हुए अधिकतम भुगतान रनिंग बिलों के माध्यम से प्राप्त कर लिये जाते हैं एवं अंतिम बिल भुगतान न होने को आधार बनाकर निर्माण विभाग द्वारा खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण अधिशुल्क निर्धारण नहीं किया जा पाता है एवं महालेखाकार द्वारा एस.टी.पी. के अधिशुल्क निर्धारण नहीं करने के कारण राजस्व हानि के आक्षेप गठित किये जाते है।

5– निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के नो–ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ठेकेदार को अंतिम बिल का भुगतान कर दिया जाता है।

6– अधिकाश निर्माण विभागों द्वारा निर्माण कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी का विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है, जिसके अभाव में महालेखाकार द्वारा जी–शिड्यल के आधार पर रॉयल्टी हानि का आक्षेप खान विभाग में गठित किये जाते है।

अतः महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा बनाये गये पैराओं को ध्यान में रखते हुये तथा उनकी पुनरावृत्ति तथा राजस्व अपवंचना को रोकने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

Scanned with CamScanner

1–समस्त निर्माण विभाग की वेबसाईट को खान विभाग की वेबसाईट से लिंक किया जाये, ताकि निर्माण विभाग द्वारा कोई भी कार्यादेश जारी करते ही खान विभाग को उसकी सूचना मिल सके।

2– निर्माण विभाग द्वारा प्रथम रनिंग बिल का भुगतान किसी भी परिस्थिति में खान विभाग द्वारा जारी एस.टी.पी. की प्रति संवेदक से प्राप्त किये बिना नहीं किया जावे।

3–निर्माण विभाग द्वारा रनिंग बिलों को पारित करते समय रनिंग बिल में अंकित उपयोग में लिये गये विभिन्न खनिजों की तथा मात्रा की एस.टी.पी. खान विभाग से जारी होना सुनिश्चित किया जायें।

4– निर्माण विभागों द्वारा निर्माण कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी का विवरण आवश्यक रूप से खान विभाग को प्रेषित किया जावे।

5– ऐसे निर्माण कार्य जिसमें विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(i)(ii) व (iii) के अन्तर्गत एस.टी.पी. जारी की जाती है, उन प्रकरणों में अंतिम रनिंग बिल कम से कम 20 प्रतिशत राशि का निर्धारित किया जावें। अंतिम बिल का भुगतान एवं सिक्यूरिटी की राशि का रिफण्ड के पूर्व सम्बन्धित निर्माण विभाग की वेबसाईट पर खान विभाग के नो–ड्यूज प्रमाण पत्र का लिंक उपलब्ध कराया जाये, ताकि सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता लिंक पर नो–ड्यूज प्रमाण पत्र अपलोड कर सकें। नो–ड्यूज प्रमाण पत्र अपलोड होने के उपरान्त ही अंतिम रनिग बिल का भुगतान किया जाये।

6– कार्य समाप्ति के 15 दिवस या अधिकतम एक माह में निर्माण विभाग द्वारा खनिज उपयोग मात्रा का प्रमाण पत्र सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रेषित किया जायें। तत्पश्चात एक माह की अवधि में सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा नो–ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

7– पुराने कार्य जो समाप्त हो गये हैं, परन्तु खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये हैं, उनमें अभियान चलाकर एक माह खनिज उपयोगिता प्रमाण पत्र में भिजवाये जावें।

(नीलू बारूपाल)
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
3. निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्रांक निदे/प.2/कास/STP /2020/967 दिनांक 08.12.2021 के क्रम में।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, (खान/भूविज्ञान), समस्त अधीक्षण खनि अभियंता, समस्त खनि अभिंयता, समस्त सहायक खनि अभियंता मार्फत निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner